स्तनपान और चाइल्ड केयर (बाल देखभाल)

चाइल्ड केयर सर्विस (बाल देखभाल सेवा) प्रदाताओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना

आपका समर्थन व प्रोत्साहन उस माँ के लिए काफी अंतर डाल सकता है जो अपने बच्चे/अपनी बच्ची के चाइल्ड केयर शुरू करने पर भी उसे स्तनपान कराना जारी रखना चाहती है।

यदि माता को यह पता है कि अपने शिशु को स्तनपान कराने के उसके प्रयासों का आप समर्थन करते/करती हैं, तो आप स्तनपान कराना जारी रखने में उसकी सहायता करेंगे/करेंगी।

एक चाइल्ड केयर (बाल देखभाल) सेवा प्रदाता के तौर पर, यह आवश्यक है कि आप स्तनपान कराने वाली माताओं के साथ भेदभाव न करें। स्तनपान कराने का अधिकार ACT भेदभाव अधिनियम 1991 (ACT *Discrimination Act 1991*) के तहत संरक्षित है। चाइल्ड केयर (बाल देखभाल) सेवा प्रदान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति व संस्था पर यह आवश्यकता लागू होती है, इनमें दिन-भर की देखभाल (लांग डे केयर), सामयिक देखभाल, फैमिली डे केयर (पारिवारिक दैनिक देखभाल), या घर पर देखभाल शामिल है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सेवा लाभ-निरपेक्ष है या वाणिज्यिक।

यदि आपको अधिक सहायता की आवश्यकता हो, तो:

आप ऑस्ट्रेलियन ब्रेस्टफीडिंग एसोसिएशन (ऑस्ट्रेलियाई स्तनपान संस्था) की पुस्तिका को डाउनलोड कर सकते/सकती हैं:
(A Caregiver’s Guide to the Breastfed Baby - स्तनपान करने वाले शिशु के देखभाल-प्रदाता के लिए संदर्शिका)” जिसे आप www.breastfeeding.asn.au से डाउनलोड कर सकते/सकती हैं।

यह पुस्तिका इस बात का वर्णन करती है कि किस प्रकार स्तन को दबा कर निकाले दूध (एक्सप्रेस मिल्क) को संभाला जाना चाहिए, किस प्रकार इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए और इसे शिशुओं को किस प्रकार दिया जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन ब्रेस्टफीडिंग एसोसिएशन के यहाँ स्तनपान सलाहकार उपलब्ध हैं जो किन्हीं शंकाओं को लेकर माताओं व देखभाल-प्रदाताओं की सहायता करने में सक्षम होते हैं और इस एसोसिएशन की एक वेबसाइट भी है जिसमें विभिन्न प्रकार के विषयों पर स्तनपान से संबंधित जानकारी उपलब्ध है।

आपके लिए निम्नलिखित करना कानून उल्लंघना करना होगा:

- इस कारणवश चाइल्ड केयर (बाल देखभाल) में स्थान देने के आवेदन को नामंज़ूर करना, अथवा स्थान न देना क्योंकि बच्चा/बच्ची अभी अपनी माँ का दूध पीता/पीती है,
- किसी माँ को उसके बच्चे/उसकी बच्ची के देखभाल केन्द्र में जाना शुरू करने पर स्तनपान कराने से निरुत्साहित करना,
- किसी महिला को अपने परिसर में स्तनपान कराने या दूध एक्सप्रेस (निकालने) करने न देना,
- किसी बच्चे/बच्ची को उसकी माँ की छाती से निकले दूध को पिलाने से मना करना, अथवा
- कोई ऐसी बात करनी जो बच्चे/बच्ची के आपकी देखभाल में होने के दौरान उसके माता-पिता को उसे स्तनपान कराना जारी रखने में कठिनाई उत्पन्न करे।

अपनी सेवा को ‘स्तनपान के लिए अनुकूल’ बनाने से संबंधित कुछ सुझाव

- जब आप सबसे पहले माता-पिता से बात करते हैं तो उन्हें बतायें कि आप स्तनपान कराने का समर्थन करते हैं।
- उन माताओं के लिए अपने केन्द्र या घर पर एक आरामदायक स्थान की व्यवस्था करें जो स्तनपान कराना या दूध एक्सप्रेस करना (छाती से दूध निकालना) चाहती हैं।
- शिशु की माँ द्वारा अपने बच्चे/अपनी बच्ची के लिए अपनी छाती का दूध छोड़कर जाने को लेकर सकारात्मक रहें।

अपने चाइल्ड केयर (बाल देखभाल) सेवा को स्तनपान के लिए अनुकूल बनाने से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

Australian Breastfeeding Association
ऑस्ट्रेलियन ब्रेस्टफीडिंग एसोसिएशन
(ऑस्ट्रेलियाई स्तनपान संस्था)
हेल्पलाइन: 1800 686 268
दुभाषिया सेवा: 13 14 50
ई-मेल: info@breastfeeding.asn.au
इंटरनेट: www.breastfeeding.asn.au

सामुदायिक भाषा में स्तनपान से संबंधित तथ्य-पत्र और विभिन्न प्रकार के अन्य स्तनपान संसाधन व जानकारी (02) 6162 2716 पर फोन द्वारा उपलब्ध है।

HUMAN RIGHTS & DISCRIMINATION COMMISSIONER
ACT Human Rights Commission

Australian Breastfeeding Association

स्तनपान और चाइल्ड केयर (बाल देखभाल)

माता-पिता के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

आप किसी भी ऐसे स्थान पर स्तनपान करा सकती हैं जो आपके व आपके शिशु के लिए उचित हो, इसमें वो समय भी शामिल है जब आप चाइल्ड केयर (बाल देखभाल) सेवाओं का प्रयोग कर रही हों।

आपके बच्चे/आपकी बच्ची की किसी चाइल्ड केयर में उपस्थिति के दौरान आप उसे स्तनपान कराना जारी रख सकती हैं या प्रदाता को एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क (अपनी छाती से निकाला दूध) दे सकती हैं।

यदि कोई चाइल्ड केयर (बाल देखभाल) सेवा प्रदाता आपसे इस कारण भेदभाव करता है क्योंकि आप स्तनपान करा रही हैं, तो ऐसा करना गैर-कानूनी है।

यदि आपको लगता है कि आपके साथ भेदभाव किया गया है या आप स्तनपान कराने के अधिकार से संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहती हैं, तो कृपया संपर्क करें:

ACT Human Rights Commission

ACT ह्यूमन राइट्स कमीशन
(ACT मानवाधिकार आयोग)

फोन: (02) 6205 2222

दुभाषिया सेवा: 13 14 50

ई-मेल: human.rights@act.gov.au

इंटरनेट: www.hrc.act.gov.au

आपका चाइल्डकेयर (बाल देखभाल) प्रदाता:

- इस कारण चाइल्ड केयर स्थान के लिए आपके आवेदन को नामंज़ूर नहीं कर सकता है, या आपको स्थान देने से मना नहीं कर सकता है क्योंकि आपका बच्चा/आपकी बच्ची अभी अपनी माँ का दूध पीता/पीती है,
- आपके बच्चे/आपकी बच्ची के केयर (देखभाल) सेवा में जाना शुरू करने पर आपको स्तनपान कराना बंद करने के लिए नहीं कह सकता है,
- उन्हें अपने परिसर में आपको स्तनपान कराने देना या मिल्क एक्सप्रेस करने (छाती से दूध निकालने) देना चाहिए,
- आपके द्वारा अपनी छाती से निकाले गए दूध को आपके शिशु को देने से मना नहीं कर सकता है, या
- उन्हें आपके बच्चे/आपकी बच्ची को अपनी देखभाल में उपस्थिति के दौरान आपको स्तनपान कराने या आपकी छाती का दूध आपके शिशु को देने में आपका समर्थन करना चाहिए।
- स्तनपान कराने का आपका अधिकार ACT भेदभाव अधिनियम 1991 (ACT Discrimination Act 1991) के तहत संरक्षित है। दिन भर की देखभाल (लांग डे केयर), सामयिक देखभाल, फैमिली डे केयर (पारिवारिक दैनिक देखभाल), या घर पर देखभाल सहित प्रत्येक चाइल्ड केयर (बाल देखभाल) सेवा के लिए इस कानून का पालन करना आवश्यक है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सेवा लाभ-निरपेक्ष है या वाणिज्यिक।

आपके बच्चे/आपकी बच्ची के केयर (देखभाल) सेवा पर जाना शुरू करने पर, आप अपनी चाइल्ड केयर (बाल देखभाल) सेवा के साथ व्यवस्थाएँ करने में सक्षम होने चाहिए ताकि आपको अपने शिशु को स्तनपान कराना जारी रखने में मदद मिल सके।

आप ABA की वेबसाइट से ऑस्ट्रेलियन ब्रेस्टफीडिंग एसोसिएशन की पुस्तिका: "(A Caregiver's Guide to the Breastfed Baby - स्तनपान करने वाले शिशु के देखभाल-प्रदाता के लिए संदर्शिका)" को डाउनलोड कर सकते/सकती हैं। इस पुस्तिका में आपकी चाइल्ड केयर (बाल देखभाल) सेवा के लिए इस बात से संबंधित जानकारी शामिल है कि किस प्रकार स्तन को दबा कर निकाले दूध (एक्सप्रेस मिल्क) को संभाला जाना चाहिए, किस प्रकार इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए और इसे शिशुओं को किस प्रकार दिया जाना चाहिए। ABA के पास स्तनपान सलाहकार उपलब्ध हैं जो किसी प्रकार की पूछताछ में माताओं व देखभाल-प्रदाताओं की मदद करने में सक्षम होते हैं।

अपने चाइल्ड केयर (बाल देखभाल) सेवा को स्तनपान के लिए अनुकूल बनाने से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

Australian Breastfeeding Association

ऑस्ट्रेलियन ब्रेस्टफीडिंग एसोसिएशन (ऑस्ट्रेलियाई स्तनपान संस्था)

हेल्पलाइन: 1800 686 268

दुभाषिया सेवा: 13 14 50

ई-मेल: info@breastfeeding.asn.au

इंटरनेट: www.breastfeeding.asn.au

सामुदायिक भाषा में स्तनपान से संबंधित तथ्य-पत्र और विभिन्न प्रकार के अन्य स्तनपान संसाधन व जानकारी (02) 6162 2716 पर फोन द्वारा उपलब्ध है।

HUMAN RIGHTS & DISCRIMINATION COMMISSIONER
ACT Human Rights Commission

Australian Breastfeeding Association